

आदेश
(संख्या .../2020)

कार्यालय INCIDENT COMMANDER, नगर मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांकित-23.10.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री महेन्द्र श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश (पास्को) कोरोना धनात्मक (Positive) पाये जाने के कारण न्यायालय को न्यायिक प्रक्रिया से विरक्त रखते हुए परिसर में 24 घण्टे हेतु अस्थायी रूप से सीज करने की संस्तुति की गयी है।

अतएव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-548/पांच-8-2020 दिनांकित-14.03.2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897 की धारा-2 के अधीन उत्तर प्रदेश महामारी कोरोना (COVID-19) विनियमावली 2020 के प्रस्तर संख्या-12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-1117/LXXXVII-CPC/e Courts/Allahabad, दिनांकित-03.06.2020 के अनुसार अधिनस्थ दीवानी न्यायालयों के खोले जाने के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जहां पर जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्साधिकारी की राय में जिला न्यायालय/परिवार न्यायालयों को कुछ समय के लिए बन्द किया जाना है, वहाँ पर जिला न्यायालय/परिवार न्यायालय बन्द किये जायें तथा इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित की जायेगी।

उक्त के अनुक्रम में मैं, प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय, गाजियाबाद दिनांक 24.10.2020 की प्रातः काल से आगामी 24 घण्टे तक सभी परिवार न्यायालय, गाजियाबाद को जनपद न्यायालय में न्यायिक अधिकारी के पीडित/संक्रमित होने के संज्ञान में आने के दृष्टिगत उक्त सोसायटी/क्षेत्र/परिसर को तत्काल प्रभाव से कोरोना वायरस (COVID-19) फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से अस्थायी रूप से सीज किये जाने एवं परिसर में प्रवेश व निकास एवं वाहनों के संचालन को (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश देती हूँ। आदेश का उल्लंघन उन्परोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 (पंद्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा-188 के अधिन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा।

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-1117/LXXXVII-CPC/e Courts/Allahabad, दिनांकित-03.06.2020 के अनुपालन में सभी परिवार न्यायालय एवं कार्यालयों का सैनिटाईजेशन प्रभारी नजारत गाजियाबाद की देखरेख में किया जायेगा और इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दिनांक-27.10.2020 को प्रातः 10 बजे प्रेषित की जाये।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार महीने का चतुर्थ शनिवार को न्यायिक अधिकारीगण का अवकाश होने के कारण सभी परिवार न्यायालय, गाजियाबाद में सुनवाई हेतु वाद नियत नहीं किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति वादों में अग्रिम तिथि नियत किये जाने हेतु कोई आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचना प्रेषित की जाये तथा एक आदेश के प्रति जिला न्यायालय, गाजियाबाद की अधिकारिक वेवसाइट (official website) पर आदेश अपलोड किया जाये।

प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।
2. प्रभारी नजारत, सिविल कोर्ट, गाजियाबाद।
3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद।
6. बार एसोशिएशन, गाजियाबाद।
7. सिस्टम आफिसर, सिविल कोर्ट, गाजियाबाद।
8. न्यायालय नोटिस बोर्ड।

अविता राज

प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय,

गाजियाबाद।

Principal Justice Family Court
Ghazipur (U.P.)